नई शिक्षा नीति में शाला शिक्षा संरचना पर शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षुओं की राय का अध्ययन

अध्याय 1

परिचय

शिक्षा नीति में शैक्षिक क्षेत्र में सिद्धांतों और सरकारी नीतियों के साथ-साथ शिक्षा प्रणालियों के संचालन को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियमों का संग्रह होता है। कई संस्थाओं के माध्यम से कई उद्देश्यों के पूर्ति के लिए शिक्षा कई रूपों में विभक्त होती है। उदाहरण स्वरुप - प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, किंडरगार्टन से 12 वीं कक्षा तक, दो और चार साल के कॉलेज या विश्वविद्यालय, स्नातक और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और नौकरी प्रशिक्षण शामिल हैं। इसलिए, शिक्षा नीति सभी उम्र के लोगों की शिक्षा को सीधे प्रभावित करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक नीति है। यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को कवर करती है।

शिक्षा क्षेत्र से सम्बंधित समिति , रिपोर्ट ,शिक्षा निति समय-समय पे बनते रहे और उनमें समय-समय पे आवश्यकता अनुसार सुधार व संसोधन भी होते रहे है। उनमें से कुछ निनलिखित प्रकार से हैं ।

पहली आधुनिक भारतीय शिक्षा नीति चार्टर एक्ट 1813 थी ,उसके बाद 1854 के डिस्पैच की नीति, 1904 में लॉर्ड कर्जन नीति,1870 में इंग्लैंड में फोस्टर्स एक्ट ,1928 में हार्टोग कमेटी ,अप्रैल 1935 में, बुनियादी शिक्षा

का जन्म महात्मा गाँधी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में हुआ था,1937 में वुड-एबट की रिपोर्ट , ताराचंद समिति की नियुक्ति 1948 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, आजादी के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) शिक्षा पर पहला आयोग था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1948-49 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी, मुदलियार आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है।,1953 में डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार, की अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।, नेहरू के मिशन पर आकर्षित और उनके अधिकांश प्रमुख विषयों को स्पष्ट करते हुए, कोठारी आयोग (1964-66) की स्थापना डॉ. डी.एस.कोठारि की अध्यक्षता में की गई थी, जो भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करती है। कोठारी आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न, राष्ट्रीय नीति 1968 का स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत सरकार ने 1985 में प्रचलित शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की और नीति को "शिक्षा की चुनौती: एक नीति परिप्रेक्ष्य" दस्तावेज़ में व्यक्त किया गया था।1986 की नीति ने 1968 की नीति द्वारा निर्धारित नीतिगत लक्ष्यों की उपलब्धि को स्वीकार किया, जैसे कि एक किलोमीटर के भीतर एक स्कूल की स्थापना और एक सामान्य शिक्षा संरचना को अपनाना। शिक्षा के क्षेत्र में यह निरंतर प्रयास जिसका उद्देश्य समग्र विकाश व उच्च गुणवक्ता वाली शिक्षा प्रदान करना रहा है , इन्ही सभी मुद्दों को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के उदेश्य को लेकर एवं कुछ बदलाव के साथ नई शिक्षा निति 2020 में प्रख्यापित किया गया है। ।

भारत में शिक्षा जगत के इतिहास में यह सबसे बड़ा बदलाव किया गया है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा नई शिक्षा नीति पेश की गई है, भारत की यह नई शिक्षा नीति इसरो प्रमुख डॉ कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में की गई है।

1.1 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020

भारत में पहले की शिक्षा नीति में बहुत समय से कोई भी बदलाव नहीं किया गया था जो जानकारी आप के पूर्वजों ने प्राप्त की थी वही जानकारी आपके पिता ने और अभी आप भी वही पढ़ रहे होंगे । भारत के विकास के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना काफी ज्यादा जरूरी था ,वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया है । इस शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्यधिक लाभ देने की कोशिश की गई है जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम होगा छात्र रट्टा मार पढ़ाई ना करके कुछ **सीखने योग्य पढ़ाई** करेंगे और **भारत के विकास** में अहम भूमिका निभाएंगे ।

भारतीय शिक्षा प्रणाली:

वर्तमान शिक्षा ढांचा गतिशील था और हाल के 34 वर्षों से चल रहा था और वर्ष 2020 में आने वाले वर्षों में एनईपी 2020 के पूरक के बाद एक नया चरम परिवर्तन देखा जा सकता है! शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था से लेकर ब्रिटिश प्रभावित शिक्षा ढांचे तक, कई उच्च डिग्री और परिवर्तनों को शिक्षा ढांचे में क्रियान्वित या परिवर्तित किया गया है। हम में से एक महत्वपूर्ण संख्या उस ढांचे के माध्यम से एक है जिसे जल्द ही हटा दिया जाएगा, कई ध्यान देने योग्य परिवर्तन हैं जो कुछ सामान्य सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं जैसे पुराने 10+2 ढांचे को 5+3+3+4 ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि धारा ढांचे [कला, विज्ञान और वाणिज्य] को समाप्त कर दिया गया है, अब छात्रों को विषयों के सुलभ मिश्रण को चुनने की अनुमति है।

छात्र चुन सकेंगे अपने पसंदीदा विषय :-

नई शिक्षा नीति में आर्ट्स एवं साइंस, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच कोई सख्त अंतर नहीं होगा. छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत लचीलापन मिलेगा और पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे. स्कूलों में छठीं

क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी.

1.2 अध्ययन का सैद्धांतिक ढांचा

"वर्तमान अतीत में समाया हुआ है" एक अच्छी तरह से पहना जाने वाला सत्यवाद है। प्राचीन भारत की महिमा वर्तमान को आलोकित करते हुए उसके भविष्य को आकर्षक बनाती है। प्राचीन भारत की अनूठी विशेषता यह थी कि उसकी सभ्यता का निर्माण राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कारकों से उतना प्रभावित नहीं था जितना कि अध्यात्मवाद से। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने कई तथ्यों और क्रांतियों के तहत वर्तमान आकार लिया। यदि हम भारत के पिछले इतिहास में जाते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का अपने आप में एक विकासात्मक इतिहास है। पिछले शैक्षिक इतिहास को दो व्यापक अवधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं-

i) प्राचीन काल और/पूर्व-आधुनिक काल
ii) आधुनिक काल।

शिक्षा के प्राचीन काल को पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

1.2.1 शिक्षा का प्राचीन काल/पूर्व आधुनिक काल

i) वैदिक काल

ii) बौद्ध काल

iii) मुस्लिम काल

पूर्व आधुनिक काल में शिक्षा

वैदिक काल

वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी के स्रोत थे वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, दर्शन की प्रणालियाँ, गीता और श्रुति। वैदिक शिक्षा गुरुकुल में संपन्न होती थी तथा शिक्षा संपन्न होने तक शिष्य गुरुकुल में ही अपना जीवनयापन करता था। वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य साधन श्रवण मनन तथा निदिध्यासन आदि थे। कई वेद जिन्हें कंठस्थ ही कराया गया तथा उनका किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित स्वरुप संकलित नहीं किया गया, श्रुति कहलाये। शिक्षकों को विशुद्ध रूप से वैदिक माना जाता था। इस प्रकार,शिक्षण, एक तरह से मौखिक था। प्राचीन भारतीय शिक्षा सख्ती से भारतीय की नींव पर विकसित हुई थी आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराएं। प्राचीन भारतीय शिक्षा नहीं थी केवल सैद्धांतिक, लेकिन जीवन की वास्तविकताओं से संबंधित था। की शिक्षा प्रणाली वैदिक काल ने चरित्र के संबंध में एक स्पष्ट सफलता प्राप्त की चरित्र गठन, व्यक्तित्व का विकास, और आध्यात्मिक और धार्मिक था

शिक्षा की संरचना एवं संगठन-

वैदिक काल में शिक्षा को दो स्तरों में बांटा गया था। जो की इस प्रकार हैं-

प्रारंभिक शिक्षा

उच्च शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए उनके परिवार के मध्य उनके घर पर ही संपन्न कराई जाती थी। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तब ये शिक्षा शुरू की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा का आरम्भ विदयारम्भ संस्कार से होता था। बच्चे का विदयारम्भ संस्कार कुलपुरोहित के द्वारा बच्चे के

घर पर ही संपन्न कराया जाता था जिसके साथ उसकी प्ररम्भिक शिक्षा घर पर ही शुरू हो जाती थी।

विदयारम्भ संस्कार में सर्वप्रथम बच्चे को नहलाया जाता था फिर उसे नए वस्त्र पहनाये जाते थे। कुलपुरोहित और बच्चे के बिच में चावल बिखेरे जाते थे फिर बच्चे से उन चावलों में अक्षर बनवा के इस संस्कार की शुरुआत की जाती थी।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से की जाती थी, जिसके बाद बालक का उच्च शिक्षा में प्रवेश होता था। बालक की उच्च शिक्षा गुरुकुल में होती थी तथा उच्च शिक्षा संपन्न होने तक बालक गुरुकुल में ही रहता था। गुरुकुल ऐसे स्थान होते थे जो घरों से बहुत दूर जंगलों के बिच शांत वातारवरण में होते थे। गुरुकुल एक गुरु के अंतर्गत चलता था।

गुरुकुल में एक या एक से अधिक गुरु होते थे जिनमें से कोई एक गुरु सर्वोपरि होता था जिसके अंतर्गत सारे गुरु कार्य करते थे।

उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन शब्द का अर्थ होता है समीप ले जाना। उप का अर्थ पास और नयन का अर्थ ले जाना।

उच्च शिक्षा में आयु एवं जाति के आधार पर प्रवेश दिए जाते थे, अतः उच्च शिक्षा को आयु एवं जाति के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

1. ब्राह्मण - 8 वर्ष (बसंत ऋतु)

ब्राह्मण को 8 वर्ष की आयु में बसंत ऋतु के समय प्रवेश दिया जाता था।

2. क्षत्रिय - 10 वर्ष (ग्रीष्म ऋतु)

क्षत्रिय को 10 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु के समय प्रवेश दिया जाता था।

3. वैश्य - वर्ष (पतझड़)

वैश्य को 12 वर्ष की आयु में पतझड़ के समय प्रवेश दिया जाता था।

शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त ना होने के कारण उसे उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं मिलता था अतः शूद्र को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता था।

समावर्तन संस्कार

विदयारम्भ संस्कार और उपनयन संस्कार के संपन्न होने के पश्चात जब बालक गुरुकुल से अपने घर पर पहुँचता था तब सर्वप्रथम बालक का समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का तात्पर्य है वापस लौटना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा संपन्न करने के पश्चात बालक गुरु की आज्ञा प्राप्त करके अपने घर लौटता था। घर लौटने से पहले शिष्य अपने गुरु को गुरुदक्षिणा देता था। जब बालक शिक्षा पूर्ण करके घर पहुँचता था तब समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था तथा इस संस्कार के पश्चात ही बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर पाता था।

बौद्ध काल

बौद्ध धर्म लगभग 600 ई.पू. अस्तित्व में आया। बौद्ध धर्म का मुख्य शिक्षा केंद्र मठ या विहार थे। पूरी शैक्षिक योजना भिक्षुओं द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षण की जाती थी। बौद्ध शिक्षा की शुरुआत भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन के आधार पर की थी। जैसा कि यह उल्लेख किया गया है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली से पहले ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली थी; परिणामस्वरूप शिक्षा की ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव बाद की शिक्षा प्रणाली में

पाया गया। फिर यह पाया जाता है कि बौद्ध धर्म ने काफी हद तक ब्राह्मणवाद से अपनी प्रेरणा ली। दोनों मतों के बीच बाहरी कलह के बावजूद एक आवश्यक आंतरिक सहमति है। बुद्ध स्वयं ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त की। बुद्ध किसी व्यक्ति को जन्म से ही ब्राह्मण मानने के विचार के विरोधी थे। उन्होंने एक शुद्ध और सरल जीवन जीने वाले भिक्षुओं के एक आदेश का आयोजन किया और जिन्होंने अपने बचपन में अपने घरों को त्याग दिया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और तपस्या के जीवन से निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करना था।

प्रब्रजा या पब्बोज्जा शिक्षा के लिए पहला प्रारंभिक समन्वय था। तीन शरणार्थियों की शपथ लेकर लोगों ने 'श्रमण' के रूप में इस मठ में प्रवेश किया। मठों में आमतौर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी जिसके बाद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विहारों में प्रवेश करना पड़ता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी के बीच समानता की भावना पैदा करना था। छात्र को अष्टांगिक आचार संहिता के अनुसार जीवन जीना सिखाया गया। 'सत्य' और 'अहिंसा' इस शिक्षा प्रणाली के निर्देशक सिद्धांत थे। बौद्ध व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम पाली था। एक बच्चे को भाषा, बौद्ध शास्त्र, शिल्प आदि सीखना पड़ता था। प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक बच्चे को तीन आर का ज्ञान दिया जाता था। उच्च स्तर पर छात्र साक्षरता, चिकित्सा, कानून, दर्शन धर्म, राजनीति और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन करता था।

शिक्षा की संरचना एवं संगठन

बौद्ध कालीन शिक्षा को तीन स्तरों में व्यवस्थित किया गया था

प्राथमिक शिक्षा -

बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मठों व विहारों में थी।

बच्चे के 6 वर्ष होने पर प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश ले सकता था। बालक के 12 वर्ष का होने पर उसकी प्राथमिक शिक्षा संपन्न हो जाती थी।

प्राथमिक शिक्षा पूर्णता धर्म पर आधारित थी।

बौद्धिक शिक्षा में किसी भी धर्म का बच्चा प्रवेश ले सकता था। केवल चांडाल बौद्धिक शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते थे।

बौद्ध मठों में प्रवेश से पूर्व बच्चों के माता-पिता से अनुमति प्राप्त कर बच्चों का प्रव्रज्या (पब्बजा) संस्कार होता था।

प्रव्रज्या संस्कार में मठ का मुख्य भिक्षु बालक से तीन बार बुद्ध मंत्र कहलवाता था।

प्रव्रज्या संस्कार के अंतर्गत बालक को 10 आदेशों का पालन करना होता था

जीव हत्या ना करना, चोरी ना करना, अशुद्धता ना करना, असत्य ना बोलना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, वर्जित समय पर भोजन न करना, नृत्य एवं संगीत से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, ऊंचे बिस्तरों पर ना सोना, सोना चांदी का दान ना करना मठ में प्रवेश के पश्चात बालक या छात्र को श्रामणेर (सामनेर) कहा जाता था।

उच्च शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा संपन्न होने के पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं दी जाती थी। उच्च शिक्षा में केवल वह बच्चे प्रवेश ले पाते थे जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

उच्च शिक्षा प्रारंभ होने की आयु सामान्यतः 12 वर्ष थी तथा जब बच्चा 20 या 25 वर्ष का हो जाता तो उच्च शिक्षा संपन्न हो जाती।

भिक्षु शिक्षा

उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद जो विद्यार्थी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता था उसे भिक्षु शिक्षा संपन्न करनी होती थी।

भिक्षु शिक्षा मैं प्रवेश लेने से पूर्व बालक को उप संपदा संस्कार कराना पड़ता था। बौद्ध संघ में प्रवेश को उप संपदा कहा जाता था।

यह शिक्षा गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों के लिए नहीं थी।

उप संपदा संस्कार के बाद भिक्षुओं को 8 नियमों का पालन करना पड़ता था।

साधारण वस्त्र पहनना, वृक्षों के नीचे वास करना, भिक्षा मांग कर भोजन ग्रहण करना

चोरी न करना, जीव हत्या ना करना,अलौकिक शक्तियों का दावा न करना

स्त्री से किसी प्रकार का संबंध स्थापित ना करना, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना।

भिक्षु शिक्षा की समय अवधि 8 वर्ष की होती है।

भिक्षु शिक्षा संपन्न होने पर छात्र पूर्ण रूप से सन्यासी अर्थात मौंक बन जाता था।

शिक्षा का उद्देश्य

बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य लगभग वैदिक शिक्षा के समान थे, पर उनकी प्रकृति में अंतर था। बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न है

मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, शारीरिक विकास, ज्ञान का विकास , सामाजिक व्यवहार का विकास, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, बौद्धिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था जिसके लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करने को कहा।

अष्टांगिक मार्ग

सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात कही है।

सम्यक दृष्टि- वस्तुओं के वास्तविक रूप का ध्यान करना

सम्यक संकल्प- आसक्ति द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना।

सम्यक वाक- अब प्रिय वचनों का परित्याग

सम्यक क्रमांत- दान दया सत्य अहिंसा आदि सत्कर्म का अनुसरण करना।

सम्यक अजीव- सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना।

सम्यक व्यायाम- विवेकपूर्ण प्रयत्न करना

सम्यक् स्मृति- सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना।

सम्यक समाधि- चित्त की एकाग्रता

इनमें 1 से 3 को प्रज्ञा, 4 से 6 को शील और 7 से 8 को समाधि।

मुस्लिम काल

मुसलमान ८वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत आए। भारत पर मुस्लिम आक्रमण न केवल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बल्कि शिक्षा और सीखने के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी घटना है। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ, हिंदू शिक्षा प्रणाली ने राज्य से शाही संरक्षण और वित्तीय सहायता खो दी। मुस्लिम शासकों ने दो प्रकार के स्कूल स्थापित किए थे- **मकतब या प्राथमिक विद्यालय और मदरसा या उच्च शिक्षा संस्थान।** मुस्लिम काल में मकतब प्राथमिक शिक्षा के संस्थान थे। एक निश्चित चरण में भाग लेने के बाद एक बच्चे को मकतब में प्रवेश मिला। प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम शिक्षा धार्मिक थी। हर मस्जिद में मकतब या प्राइमरी स्कूल जुड़ा होता था। धार्मिक शिक्षा के अलावा तीन आरओ में निर्देश दिए गए। हस्तलेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता था और इसके लिए तख्ती नामक लकड़ी के तख्ते का प्रयोग किया जाता था। मदरसा उच्च मुस्लिम शिक्षा के संस्थान थे। मकतब में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, छात्र बिना किसी प्रथा या समारोह के इन मदरसों में शामिल हो गए। माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई विशेष विद्यालय नहीं था।

इन स्कूलों को या तो सरकार द्वारा या अमीर लोगों द्वारा वित्तपोषित किया गया था। स्कूलों को बनाए रखने के लिए मस्जिदों के पास जमीन और सम्पदा जुड़ी हुई थी। माध्यमिक विद्यालयों को निम्न मदरसों या सगीर मदरसों के रूप में जाना जाता था। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी।

1.2.2 आधुनिक काल

1813 ई. में ब्रिटिश संसद ने भारतीय शिक्षा को राज्य के कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू बना दिया। भारतीय शैक्षिक इतिहास में इस वर्ष को भारत

की आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा को फिर से दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे-

i) आजादी से पहले का शैक्षिक इतिहास, और

ii) स्वतंत्रता के बाद का शैक्षिक इतिहास।

भारत की आधुनिक शिक्षा, शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि विभिन्न

आयोग और समिति भारत में शिक्षा के विभिन्न चरणों के विकास के लिए बहुमूल्य सुझाव और सिफारिश प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विभिन्न नीतियों पर निम्नलिखित तरीकों से चर्चा की जा सकती है-

स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर नीति निर्माण

पहली आधुनिक भारतीय शिक्षा नीति चार्टर एक्ट 1813.ई. थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के कुछ स्थानों पर शासन करने की शक्ति मिली, तब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएँ लेने का आदेश दिया और जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये मंजूर किए। कंपनी के चार्टर एक्ट का हर बीस साल बाद नवीनीकरण होता था। 1799 ई., 1813 ई. और 1833 ई. के वर्षों में इसे पहले ही नवीनीकृत किया जा चुका था और प्रत्येक चार्टर अधिनियम ने कंपनी की शैक्षिक नीति में कुछ संशोधन या विकास पेश किए।

कंपनी के चरित्र अधिनियम का हर बीस साल बाद नवीनीकरण किया जाता था। इस तरह का नवीनीकरण 1853 ई. में हुआ। भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था। जैसा कि

सर चार्ल्स वुड नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसलिए, डिस्पैच को उनके नाम से जाना जाने लगा। डिस्पैच ने भारत में शिक्षा से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया।

लॉर्ड रिपन ने ३ फरवरी 1882 ई. को विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग को निर्देश दिया गया था कि उसका कर्तव्य यह जांचना है कि 1854 ई. का प्रेषण किस तरीके से किया गया था, और इसके अलावा, उन तरीकों का सुझाव दिया जाना चाहिए जिनके माध्यम से पुरानी डिस्पैच की नीति को पूरी तरह से लागू किया जा सके। पुराने डिस्पैच के सिद्धांतों को निश्चित रूप से बनाए रखा जाना था। 1854 ई. के डिस्पैच का मूल उद्देश्य, जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र से सरकार के प्रयासों और प्रयासों को मोड़ना और इसे आम जनता की प्राथमिक शिक्षा की ओर निर्देशित करना था।

लॉर्ड कर्जन ने 1904 ई. में नीति बनाई। उन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरणकर्ता माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने भारत की शिक्षा की हर शाखा को छुआ। उन्होंने महसूस किया कि प्राथमिक शिक्षा का देश की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के साथ घनिष्ठ संबंध है। यही कारण है कि वह प्राथमिक शिक्षा के मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक पहलू में सुधार करने का प्रयास करता है। उन्होंने महसूस किया कि पहले आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की थी और उच्च शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था। यह देखा गया कि वित्त की कमी के कारण प्राथमिक शिक्षा का ठीक से विकास नहीं हो सका।

लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बाद यह पाया गया कि वित्त की उदार अनुदान नीति के कारण प्राथमिक विद्यालयों की संख्या और छात्रों की संख्या पहले के वर्षों की तुलना में बढ़ गई थी। लेकिन वह वृद्धि पर्याप्त

नहीं थी क्योंकि भारत की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई थी। यह पाया जाता है कि उस समय देश की साक्षरता दर केवल 6% थी।

गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 ई. को प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक पेश किया। विधेयक को पेश करने का मुख्य उद्देश्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने की दिशा में सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया, **"कि यह परिषद सिफारिश करती है कि प्रारंभिक शिक्षा को पूरे देश में मुफ्त और अनिवार्य बनाने की दिशा में एक शुरुआत की जानी चाहिए, और यह कि आधिकारिक और गैर-सरकारी का एक मिश्रित आयोग नियुक्त किया जाए।"**

गोखले ने 16 मार्च, 1911 ई. को फिर से ऐतिहासिक महत्व का अपना निजी विधेयक पेश किया।

21 फरवरी, 1913 ई. को शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए 1913 ई. में भारत सरकार के शैक्षिक नीति संकल्प अधिनियम को अपनाया गया था।

प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, 14 सितंबर 1917 ई. को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई, जिसमें आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ माइकल सैडलर थे। चूंकि सैडलर आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर नीति निर्माण

आजादी के बाद भी सरकार भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक सिफारिश प्रदान करने के लिए विभिन्न आयोग और समिति को अपनाया है। कुछ आयोग और समिति का उल्लेख नीचे किया गया है।

ताराचंद समिति की नियुक्ति 1948 ई. में भारत सरकार द्वारा की गई थी। डॉ. ताराचंद, भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार, के अध्यक्ष थे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1948 ई. में अपनी सिफारिशों पर विचार किया:

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1948-49 ई. में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी। यह संयोगवश विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था; इसने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ सिफारिशें कीं। इस आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा वास्तव में हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी थी।

23 सितंबर 1952 ई. को डॉ.ए.लक्ष्मणस्वामी मुदलियार, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति, को प्रचलित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करने और उपयुक्त सुधारों का सुझाव देने के लिए। आयोगों ने जून, 1953 ई. में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1964-66 ई. के शिक्षा आयोग को भारत सरकार के 14 जुलाई 1964 ई. के एक प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया गया था। आयोग को शिक्षा के सभी पहलू राष्ट्रीय पैटर्न और सभी चरणों में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देना था। ।

प्रो.डी.एस कोठारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और श्री जे. पी. नाइक, शिक्षा मंत्रालय सलाहकार, आयोग के सचिव थे। आयोग में 16 सदस्य, 11 भारतीय और 5 विदेशी थे। आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को अपना कार्य शुरू किया और इसकी रिपोर्ट 29 जून, 1966 को जारी की गई। रिपोर्ट शैक्षिक पुनर्निर्माण के सामान्य पहलुओं, राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए शिक्षा प्रणाली के पुन: उन्मुखीकरण, संरचनात्मक पुनर्गठन, शिक्षकों के सुधार आदि से संबंधित है।

भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों और उद्देश्यों के संबंध में, आयोग ने निम्नलिखित उद्देश्यों की सिफारिश की: -

- उत्पादकता बढ़ाना।
- सामाजिक, राष्ट्रीय एकता।
- आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना।
- सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य का विकास।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति पहली बार 1968 ई. में भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के 1966 में जारी होने के तुरंत बाद अपनाई गई थी। कोठारी आयोग (1964-66 ई.) के अनुसरण में भारत सरकार ने 1968 ई. में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की घोषणा की। देश में शिक्षा की ओर अग्रसर कदम उठाये थे। 24 जुलाई 1968 ई. को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। **इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास,** हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया था।18 साल बाद सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव लाने का फैसला किया। वर्ष 1986 ई. में, इसने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इसे वर्ष 1992 ई. में संशोधित किया

वर्तमान में नई शिक्षा निति 2020 ई. के अंतर्गत स्कूली शिक्षा की वर्तमान संरचना को छात्रों की विकास आवश्यकताओं के आधार पर पुनर्गठित किया जाना है।

10+2+3 संरचना को 5+3+3+4 डिज़ाइन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है जिसमें शामिल हैं: (i) पांच साल की प्रारंभिक अवस्था (पूर्व-प्राथमिक स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और दो), (ii) तैयारी के तीन साल चरण (कक्षा तीन से पांच), (iii) मध्य चरण के तीन साल (कक्षा छह से आठ),

और (iv) माध्यमिक चरण के चार साल (कक्षा नौ से बारहमी) क्रमशः उल्लेखित हैं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक चरण, 2020

1. **मौलिक चरण :-** इसमें पांच साल की पढ़ाई शामिल है जहां तीन साल प्रीस्कूल और दो साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा की स्कूली शिक्षा शामिल है। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे शामिल हैं। यहां बच्चे खेलकर सीखेंगे।
2. **प्रारंभिक चरण: -** इसमें 3 साल की अध्ययन अवधि शामिल है। यह तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और पांचवीं कक्षा को मानता है। यहां बच्चे खेल-खोज और गतिविधि-आधारित शिक्षा से सीखेंगे। यहां कवर की गई उम्र 8 से 11 साल है।
3. **मिडिल स्कूल स्टेज: -** इसमें 3 साल की अध्ययन अवधि शामिल है। यह 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा को मानता है। यहाँ अमूर्त अध्ययन को महत्व दिया गया है। यहां कवर की गई उम्र 11 से 14 साल तक है। यहाँ सीखने के लिए अनुभवात्मक विधि का उपयोग किया जाता है।
4. **माध्यमिक चरण: -** इसमें 4 साल की अध्ययन अवधि शामिल है: 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा। यहां बहु-विषयक विषयों की पेशकश की जाती है। यह विधि विषय-उन्मुख शिक्षाशास्त्र पर आधारित है; आलोचनात्मक सोच को भी अधिक महत्व दिया जाता है। यहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी।

1.3. अध्ययन की आवश्यकता

नई शिक्षा नीति **(NEP 2020)** का मुख्य उद्देश्य भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उस में क्रांतिकारी बदलाव लाना साथ ही भारत के शिक्षा को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है । जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया

भारत से हमेशा सीखते आ रही हैं वैसे ही भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना भी नई शिक्षा नीति **2020** का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

नई शिक्षा नीति के माध्यम से **शिक्षा का सर्वभौमिकरण** किया जाएगा साथ नई शिक्षा नीति **2020** के तहत सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे संशोधन किए गए और कुछ नई सुविधा को भी जोड़ा गया है । उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है शाला शिक्षा संरचना एक संख्या उस ढांचे के माध्यम से एक है जिसे जल्द ही हटा दिया जाएगा, कई ध्यान देने योग्य परिवर्तन हैं जो कुछ सामान्य सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं जैसे पुराने 10+2 ढांचे को 5+3+3+4 ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5+ 3+ 3+ 4 क्या है?

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है लेकिन अब ये 5+ 3+ 3+ 4 के हिसाब से होगा. इसका मतलब है कि अब स्कूली शिक्षा को 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है. इसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौंवी से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा.

सरकार के मुताबिक, इसका मकसद अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए जरूरी है. नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी / प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी.

भारत की नई शिक्षा नीति से शिक्षा में गुणवत्ता के साथ सुधार भी आएंगे जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी ।

इस अध्ययन के द्वारा मैं यह पता लगाना चाहता हूं की नई शिक्षा नीति में शाला शिक्षा संरचना पर शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षुओं की राय क्या है?

1.4. समस्या का बयान :-

1. प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)

- एक मंत्रालय के तहत पाठ्यक्रम रखने और तीन अलग-अलग मंत्रालयों (MOE,MRRD,DNUI) के साथ कार्यान्वयन की यथास्थिति बनाए रखना। अब तक, इस रणनीति के कारण प्राथमिक शिक्षा के साथ ईसीसीई का खराब एकीकरण हुआ है। एनईपी की 'संयुक्त कार्य बल' की सिफारिश इस प्रसिद्ध अंतर को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय की तरह प्रतीत नहीं होती है।
- इस बारे में स्पष्टता का अभाव कि क्या प्रत्येक आंगनवाड़ी या पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक और एक कार्यकर्ता (सेविका) से सुसज्जित होगा।

2. सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच: -

- सामाजिक कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं के बच्चों के अनुपात पर कोई स्पष्टता नहीं है, और उन्हें किस स्तर पर (उदाहरण के लिए, स्कूल या क्लस्टर स्तर) नियुक्त किया जाएगा, या क्या उन्हें अन्य मंत्रालयों के मौजूदा कर्मियों से लिया जाएगा।
- कानूनी उल्लंघनों (बाल विवाह और बाल श्रम सहित) का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जो स्कूल छोड़ने में योगदान करते हैं।

- जो बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें उपलब्ध कराए गए मुक्त शिक्षण पाठ्यक्रमों के सामाजिक और व्यावसायिक (आर्थिक) मूल्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।

3. स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र: -

- शिक्षा की भाषा के बारे में कोई निश्चित निर्णय या दिशानिर्देश नहीं है। उदाहरण के लिए, नीति कहती है कि 'जहां भी संभव हो' स्थानीय भाषाओं का उपयोग करें, जो यथास्थिति के लिए बहुत जगह छोड़ देता है - जो कि मौजूदा तीन भाषा सूत्र है - विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाली सरकार द्वारा संचालित स्कूल सिस्टम के मामले में जारी रखने के लिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय (KVs).
- बच्चों की 'मातृभाषा' और घर की भाषा के स्कूलों में शिक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय भाषा से अलग होने का मुद्दा, विशेष रूप से प्रवासी और आदिवासी परिवारों के मामले में, संबोधित नहीं किया गया है।

4. परीक्षण और आकलन

- नीति में दो नई एजेंसियों के गठन का सुझाव दिया गया है: PARAKH और NTA- प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा विश्लेषण ज्ञान का समग्र विकास और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, क्रमशः। इन नई एजेंसियों से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बच्चों का अति-केंद्रीकरण और संभावित रूप से अति-परीक्षण हो सकता है।

5. स्कूल परिसर

- छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षित और सस्ती गतिशीलता, विशेष रूप से पुस्तकालयों, बलभवनों, प्रयोगशालाओं, सामाजिक केंद्रों, आदि जैसे साझा संसाधनों तक पहुँचने के दौरान ग्रहण की जाती है। यह गतिशीलता

वर्तमान में अनुपस्थित है, और यही कारण है कि पहली जगह में 1 किमी के दायरे में छोटे स्कूल खोलने की आवश्यकता है।

1.5. अध्ययन का औचित्य :-

एनईपी-२०२० वर्ष २०२० में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। भारतीय शिक्षा ढांचा दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंचों में से एक है और भारतीय भविष्य को आकार देने वाला है। यह शिक्षा निति के अंतर्गत शिक्षा शाला संरचना का मुख्य उद्देश्य छात्रों का समग्र और संज्ञानात्मक विकास करना है, जिसकी जिमेवारी खास तौर पे शिक्षक प्रशिक्षको , शिक्षकों , और शिक्षक प्रशिक्षु की बनती है, क्यूंकि इसको धरातल पे किर्यान्वित करने की जिमेवारी और जवावदेही इन्ही की बनती है। इसलिए इस मुद्दों पे शिक्षाविदों ,शिक्षकों ,और शिक्षक प्रशिक्षु की राय वाँछनीय, आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

1.6. शीर्षक संबंधित परिचालन परिभाषा

शाला शिक्षा संरचना - यह नीति वर्तमन की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्री आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है!

1.7. शोध के उद्देश्य:

- नई शिक्षा नीति में शाला शिक्षा संरचना पर शिक्षक प्रशिक्षकों, की राय को जनना
- नई शिक्षा नीति में शाला शिक्षा संरचना पर शिक्षकों की राय को जनना
- नई शिक्षा नीति में शाला शिक्षा संरचना पर शिक्षक प्रशिक्षुओं की राय को जनना

1.8. शोध प्रश्न :-

- नई शिक्षा नीति में शाला शिक्षा संरचना पर शिक्षक प्रशिक्षकों, की क्या राय हैं।
- नई शिक्षा नीति में शाला शिक्षा संरचना पर शिक्षकों की क्या राय हैं।
- नई शिक्षा नीति में शाला शिक्षा संरचना पर शिक्षक प्रशिक्षुओं की क्या राय हैं।

1.9. अध्ययन की परी सीमाएं: - क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल के शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षुओं एवं प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय भोपाल के शिक्षक.